

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/एल-51/2022-

/स्वा०, पटना, दिनांक: / / 2025

डा० रौद्री नारायण, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गम्हरी, फतेहपुर, गया द्वारा दिनांक 01.12.2023 से 30.09.2024 तक कुल 305(तीन सौ पाँच) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्राक-1856(25), दिनांक 02.09.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के पत्राक-9889, दिनांक 01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. उक्त अवकाश को घटाने के पश्चात डा० नारायण को कुल 245(दो सौ पैंतालीस) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय है।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापक-2/एल-51/2022-

856(2)

पटना, दिनांक 23/4/2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर, गया/डा० रौद्री नारायण, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गम्हरी, फतेहपुर, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9ए, 9बी, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

W. K. M. 22/4/25
सरकार के उप सचिव!